

फाइल सं. ई-11014/3/2025-हिंदी
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, दिल्ली: 22.09.2025

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 93वीं बैठक का आयोजन।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 93वीं बैठक आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में दिनांक **30.09.2025 (मंगलवार) को 04:00 बजे (अपराह्न)** समिति कक्ष, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली की सम्मेलन कक्ष में होनी निश्चित हुई है। कृपया इस बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। बैठक की कार्यसूची संलग्न है।

संलग्नक यथोपरि

संगीता
22.09.2025

(संगीता टी.)

सहायक निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 23310408

सेवा में,

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य (सभी उपसचिव, अवर सचिव तथा अनुभाग अधिकारी)।
2. आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, के निजी सचिव को सूचनार्थ।
3. उप-सचिव(नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली सिटी सेन्टर-II भवन, बी विंग, चौथा तल, जल सिंह रोड़, नई दिल्ली-110001

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
(राजभाषा अनुभाग)

विषय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 93वीं बैठक की कार्यसूची।

मद संख्या	विषय
1.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 92वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
2.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 92वीं बैठक में लिए गए निर्णय पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट। (अनुलग्नक-1)
3.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी पिछली तिमाही प्रगति रिपोर्ट की अनुभाग-वार तुलनात्मक स्थिति पर चर्चा।
4.	अध्यक्ष महोदया की अनुमति से कोई अन्य विषय।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 25.06.2025 को आयोजित 92वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई।

क्र.सं.	निर्णय	की गई कार्रवाई
1.	सभी अनुभाग अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट, तिमाही की समाप्ति के बाद अगले माह की 10 तारीख से पहले हिंदी अनुभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।	इस संबंध में सभी अनुभागों को दिनांक 12.09.2025 को कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से निदेश दिया गया है।
2	सभी अनुभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों को हिंदी टंकण / हिंदी आशुलिपी के प्रशिक्षण हेतु मंत्रालय में एक कार्यशाला करवाना।	कार्य अभी प्रक्रियाधीन है।
3.	धारा 3(3) और नियम-5 का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।	इस संबंध में सभी अनुभागों को दिनांक 17.09.2025 को कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से निदेश दिया गया है।
4.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों से भी सदस्यों को यथा संभव बुलाने के संबंध में	संबंधित पत्र जारी किया जा रहा है।
5.	प्रोत्याहन योजना।	प्रक्रियाधीन।
7.	मंत्रालय के सभी अनुभागों से हिंदी के ज्ञान के संबंध में विवरण मांगने और सभी अनुभागों का निरीक्षण किया जाना।	संबंधित रोस्टर तयार करने हेतु प्रशासन अनुभाग से दिनांक 17.07.2025 और 17.09.2025 के नोट द्वारा संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।
8.	महिला स्टॉफ की अधिकता को देखते हुए अनुवाद कार्य समय से प्राप्त होना।	इस संबंध सभी अनुभागों से अनुरोध किया गया।
9.	सभी अनुभागों का हिंदी पत्राचार बढ़ाने हेतु कार्रवाई करना।	इस संबंध सभी अनुभागों से अनुरोध किया गया।

10.	सामान्य-प्रशासन अनुभाग के कंप्यूटर इंजीनियर से सभी अनुभागों के कंप्यूटरों में हिंदी का फॉन्ट डलवाना।	इस संबंध में दिनांक 11.09.2025 को सामान्य-प्रशासन अनुभाग से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया।
-----	--	--
